Government of India

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 90 /2020
GST Circular No. 48 /2020

No. 2018/AC-II/1/14 11th November, 2020

General Managers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub :- Availment/Adjustment of Input Tax Credit (ITC)---Production Units.
Ref :- Railway Board's letter dated 9th September, 2019 (RBA-81/2019)

Kindly refer to Board's circular ibid, wherein a process was brought down for passing on the Input Tax Credit (ITC) availed/adjusted by Principal Railways on account of Output Tax Liability pertaining to Production Units associated with Principal Railways. This process was laid down for the financial year 2018-2019 and has been reviewed. **CRIS is making available the ITC ledgers of Production Units every month,** bringing out the adjustments of ITC against the Output Tax Liability of the respective Production Unit in the GSTR3B Return each month. It is now possible for Principal Railways to pass **on the monthly credits** availed as ITC to Production Units concurrently. All the Principal Railways may pass on the ITC availed/adjusted in respect of Production Units every month, that is after filing of GSTR3B Returns, to ensure concurrent accountal of ITC in Production Unit's Accounts and enable them to work out the cost of finished products. This may be rigidly followed.

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board.
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
4. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS.

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 90 /2020
जीएसटी परिपत्र सं. 48 /2020

सं.2018/एसीII/1/14 11 नवम्बर, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की प्राप्ति/समायोजन---उत्पादन इकाइयां।
संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 9 सितम्बर, 2019 का पत्र (आरबीए-81/2019)

कृपया बोर्ड के पूर्वोक्त परिपत्र का अवलोकन करें, जिसमें प्रधान रेलों से संबद्ध उत्पादन इकाइयों से संबंधित आउटपुट कर देयता हेतु प्रधान रेलों द्वारा प्राप्त/समायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को देने की प्रक्रिया तैयार की गई थी। इस प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित किया गया था और इसकी समीक्षा की गई है। **क्रिस द्वारा प्रतिमाह उत्पादन इकाइयों के आईटीसी बहीखातों को उपलब्ध कराया जा रहा है,** जिसमें प्रतिमाह जीएसटीआर3बी रिटर्न में संबंधित उत्पादन इकाइयों की आउटपुट कर देयता के लिए आईटीसी के समायोजन किए जाते हैं। प्रधान रेलों के लिए अब यह संभव है कि आईटीसी के रूप में प्राप्त **मासिक क्रेडिट को** साथ-साथ ही उत्पादन इकाइयों को दे दें। सभी प्रधान रेलें जीएसटीआर3बी रिटर्न को भरने के बाद प्रत्येक माह उत्पादन इकाइयों के संबंध में प्राप्त/समायोजित आईटीसी को भेजें ताकि उत्पादन इकाइयों के लेखे में साथ-साथ आईटीसी का लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके और उनके द्वारा तैयार उत्पादों की लागत निर्धारित की जा सके। इसका सख्ती से पालन किया जाए।

ह.
(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।